

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान जयपुर
क्रमांक:प.8(ग)(327)नियम/एलएसजी/15/15525
अधिसूचना

दिनांक: 23/12/15

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 107 (4) के अन्तर्गत गृहकर एवं नगरीय विकास कर एक मुस्त जमा कराने पर मूल राशि एवं शास्ती पर निम्नानुसार छूट प्रदान की जाती है :-

क्र. सं.	कर का नाम	दिनांक 31.03.2016 तक जमा कराने पर
1.	गृहकर	दिनांक 31.03.2016 तक बकाया गृहकर एक मुस्त जमा कराने पर मूल गृहकर में 50 प्रतिशत छूट एवं शास्ती पर शत-प्रतिशत छूट ।
2.	नगरीय विकास कर	दिनांक 31.03.2016 तक की बकाया नगरीय विकास कर एक मुस्त जमा कराने पर वर्ष 2015-16 तक शास्ती में शत-प्रतिशत छूट ।

उक्त अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009, राजस्थान सरकार, राज्यपाल की आज्ञा से,

क्रमांक:प.8(ग)(327)नियम/एलएसजी/15/15525

अधिसूचना

(पुरुषोत्तम बियाणी)

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव
क्रमांक:प.8(ग)(327)नियम/एलएसजी/15/15524-15805 दिनांक: 23/12/15
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

01. निजी सचिव प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर
02. निजी सचिव माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर
03. निजी सचिव प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग
04. संगामीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर, समस्त राजस्थान
05. महापौर/समापति/अध्यक्ष/मुख्य कार्यकारी अधिकारी/आयुक्त/अधिशाली अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिकाएँ समस्त राजस्थान।
06. महालेखाकार राजस्थान जयपुर।
07. निदेशक, स्थानीय निधि अंशक्षण विभाग राजस्थान जयपुर।
08. समस्त अधिकारी निदेशालय एवं उप निदेशक (सित्रीय), समस्त राजस्थान।
09. सीएमआर निदेशालय को नेट पर उपलब्ध कराने हेतु
10. जन सम्पर्क अधिकारी निदेशालय को अधिसूचना के प्रचार हेतु।
11. अडीएक, केन्द्रीय लेखन एवं मुद्रणालय, राज0 जयपुर को आगामी असाधारण अंक राजस्थान राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित करने एवं पांच प्रतियाँ उपलब्ध कराने हेतु।
12. सुरक्षित पत्रावली।

वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी

D:\Data\MS_Affirmative.docx\ksh\ksh\Document